

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा।

सरकार बनाम अरविन्द राजपूत।

मु0नं0-1407 / 2022

धारा-34 पी0एक्ट।

थाना-कुलपहाड़, जिला महोबा।

आदेश

दिनांक-12.11.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अरविन्द राजपूत पुत्र प्रकाश राजपूत ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा मैं उनको स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा-34 पी0एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाता हूँ। अभियुक्त को धारा-34 पी0एक्ट के अन्तर्गत मु0-10/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड जमा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिवार्थ खरे),
सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजि0,
कुलपहाड़, महोबा।